



2026: AHC: 31633

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **544/2026**

संतोष याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनुराग उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., संतोष चौबे

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री कार्तिकेय पांडे, श्री संतोष चौबे (प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता) के सहयोगी अधिवक्ता, और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल को सुना गया।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस तत्काल रिट याचिका पर बिना प्रति-शपथ पत्र आमंत्रित किए अंतिम रूप से सुनवाई की गई।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के तहत अपील को दिनांक 2.5.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निगरानी अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के समक्ष लंबित है। अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के समक्ष उपर्युक्त निगरानी के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा राजस्व परिषद के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 212 के तहत एक स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया है, जिसे दिनांक 14.1.2026 के आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए स्वीकार कर लिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण आवेदन में विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया था। अतः निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:

"राजस्व परिषद उ.प्र. प्रयागराज (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा केस संख्या TA/6121/2025/मऊ (कंप्यूटर केस संख्या AL20251551006121), ब्रह्मानंद बनाम अर्चना द्विवेदी, अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ व अन्य, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 212 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 14.01.2026 (अनुबंध संख्या 4) को रद्द करने हेतु 'सर्टिओररी' (उत्प्रेषण) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर निगरानी अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के समक्ष लंबित है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भ्रामक आधार पर दायर स्थानांतरण आवेदन को एकपक्षीय तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आजमगढ़ मंडल से वाराणसी मंडल में निगरानी की कार्यवाही को स्थानांतरित करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।
5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित न्यायालय से कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए स्थापित आधारों पर, राजस्व परिषद ने मामले की जांच की है और कार्यवाही को आजमगढ़ मंडल से वाराणसी मंडल में स्थानांतरित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के बजाय उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का विरोध करना चाहिए जहां कार्यवाही स्थानांतरित की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत निगरानी दायर की गई थी। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि निगरानी के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर स्थानान्तरण आवेदन को दिनांक 14.1.2026 के आक्षेपित आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया है।
8. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और स्थानान्तरण आवेदन एकपक्षीय तरीके से स्वीकार किया गया है, इसलिए, दिनांक 14.1.2026 का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है।
9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 / राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.1.2026 रद्द किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा रद्द किया जाता है।
10. रिट याचिका स्वीकार की जाती है और मामले को राजस्व परिषद / प्रतिवादी संख्या 2 को वापस भेजा जाता है ताकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ से रिपोर्ट मंगाने के बाद स्थानान्तरण आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके। यह निर्णय शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाए।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

रमीज़

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"